

2

Date _____
Page _____

Sexual Harassment and Anti-Ragging Committee : —

- | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|
| 1. Dr. V.N Pandey | Chairman | <i>[Signature]</i>
08/01/22 |
| 2. Mrs. Sushila Devi | Co-Ordinator | <i>[Signature]</i>
08/01/22 |
| 3. Mrs. Swabhi Kumari | Members | <i>[Signature]</i>
08/01/22 |
| 4. Mrs. Reena Kumari | Members. | <i>R.K.</i>
08/01/22 |
| 5. Saraswati Kumari | Pupil Teacher Member | <i>[Signature]</i>
08/01/22 |
| 6. Saloni Kumari | Pupil Teacher Member | <i>[Signature]</i>
08/01/22 |
| <i>[Signature]</i>
Chairman | | <i>[Signature]</i>
CO-Ordinator
08/01/22 |

[Signature]
Principal
Jharkhand Teachers Training College
Koderma-825409

सुप्रीमकोर्ट के निर्णय एवं निर्देशानुसार 1977 में यह निर्णय हुआ था कि सभी को मानवाधिकार है कि सभी को लिंग की समानता एवं घौनउत्पीड़न से बचाया जाना चाहिए। इसी गाइडलाइन के आधार पर सारस्वत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में घौनउत्पीड़न रोधी एवं स्त्रीशैक्षणिक समिति के गठन हेतु महाविद्यालय आचार्य एवं प्रशासनिक अधिकारियों के सुझाव से समिति के उद्देश्य, नीति एवं कार्यवाही तय हुई, जो कि निम्नवत है—

इसी के आधार पर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों में 2002 से उक्त समिति के गठन हेतु निम्नवत बिन्दुओं को सम्मिलित सम्मिलित किया गया है—

- (i) घौनउत्पीड़न रोधी समिति में दो परिवर्त माहिला केकल्ही इस समिति में होगी।
- (ii) घौनउत्पीड़न रोधी नीति जो हम स्वीकार कर रहे हैं उसे प्रदर्शित भी करेंगे।
- (iii) एक ब्रॉचर इस आशय का प्रस्तुत करना है कि महाविद्यालय ने यह नीति को स्वीकार किया है, एवं इसी के आधार पर कार्यवाही होगी।

नीति के उद्देश्य (Objectives of the Policy) —

सुप्रीम कोर्ट, यू.जी.सी. एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार संस्था इस नीति को घौन उत्पीड़न रोधी समिति के माध्यम से लागू करेगी।

- (i) इस समिति के माध्यम से कार्य योजना बनाकर महाविद्यालय महिलाओं के प्रति होने वाली घौन हिंसा को महाविद्यालय में होने से रोकेगी।

P. Singh
Principal

24/02/22
Jharkhand Teachers Training College

- (ii) समिति यह सुनिश्चित करेगी, शिकायतकर्ता शिकायत को एक निश्चित आरूप पर समिति की कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करेगी।
- (iii) महाविद्यालय में लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव रहित वातावरण का निर्माण किया जाएगा।
- (iv) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो सुविधा संसाधन व वृद्ध सभी के पहुंच में हों।
- (v) संस्था में सुरक्षित भौतिक एवं सामाजिक वातावरण का निर्माण किया जाएगा जिससे यौन उत्पीड़न जैसे कुछ की पहचान की जा सके।
- (vi) ऐसे सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण का बढावा दिया जाएगा जिससे लोगों को यौन उत्पीड़न के प्रति जागरूक किया जा सके।

यौन उत्पीड़न की परिभाषा - (Definition of Sexual Harassment)

- (i) अनचाहा शारीरिक छुआन, भौतिक अथवा अन्यतरह से यौन प्रताड़ना या पीड़ा पहुंचाना।
- (ii) इसकी अनैतिक ब्रॉग रखना या करना। ये सब यौन उत्पीड़न के अन्तर्गत आता है।

[Signature] 24/02/22

Principal

Jharkhand Teachers Training College
Koderma-825509

(5)

Date _____
Page _____

निर्णय = समिति के नियम एवं नीति सभी प्रकार
घोनाहिंसा पर लागू होंगे।

- (i) कैम्पस के अन्दर या कैम्पस के बाहर इसी तरह की किसी भी घटना समिति के निर्णय पर लागू होंगे।
- (ii) संस्था के बाहर के किसी व्यक्ति का संस्था के अन्दर कार्यरत किसी भी व्यक्ति के उपर इस तरह के आरोप की जाँच समिति करेगी।
- (iii) ~~(iii)~~ पौन रोधी समिति का संयोजन —
समिति के संयोजन में महाविद्यालय को दो वरिष्ठ महिला प्राध्यापक एवं प्राशिक्षणार्थियों को रखा जायेगा।
- (iv) कम से कम दो शिक्षक कर्मचारी और दो गैर शिक्षक कर्मचारी होंगे।
- (v) समिति में कम से कम तीन विद्यार्थी होंगे।
- (vi) समिति को कानूनी पहलुओं का ज्ञान लेना चाहिए।

(Signature)
Principal

Jharkhand Teachers Training College
Koderma-825409

घौन हिंसा रोधी समिति की भूमिका एवं दायित्व Role & Responsibility of Anti-Harassment Committee -

संस्था में स्वच्छ बौद्धिक वातावरण का निर्माण करना एवं संस्था के आवश्यक गतिविधियों का संचालन में सहयोग करना ।

यदि संस्था में कोई भी इस प्रकार की घटना की जानकारी शिकायत प्राप्त होती है तो समिति बिना देर-बदेर के तुरंत प्रकरण पर आवश्यक एवं नियमानुसार कार्य करेगा ।

2) किसी भी प्रकार की शिकायत के निस्तारण में कार्य परिषद एवं प्राचार्य का सहयोग एवं समर्थन से उचित रणनीति अपनाते हुए मामले का निस्तार करेगी ।

✓) घौन हिंसा रोधी पोस्टर, बैनर, नोटिस का प्रदर्शन महाविद्यालय कैम्पस में समिति द्वारा किया जायेगा ।

✓) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि शिकायत का निस्तारण की कार्यवाही में सभी आवश्यक दस्तावेज सभी कर्मचारियों को वर्णित करना समस्या समाधान दोनों औपचारिक एवं अनौपचारिक विधि को ~~अप~~ अपनाना ।

शिकायतों को उचित समय और गोपनीय तरीके से समाधान करना

आन्तरिक जाँच प्रक्रियाओं और रिकार्ड रखने पर स्पष्ट मार्गदर्शन उपदान करना

एक पथन बहता है कि किसी भी प्रकार की शिकायतों को नष्ट किया जायेगा ।

बैठक हेतु सूचना

6

Date _____
Page _____

आज दिनांक - 02/11/2022 को दोपहर दो बजे
पोम उत्पीड़न और हन्टी रैगिंग समिति के गठन हेतु
बैठक का आयोजन संगोष्ठी भवन में होगी। अ
अतः आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है।

प्राचार्य
Principal
Jharkhand Teachers Training College
Koderma-825409

बैठक कार्यवाही

(8)

आज दिनांक 08/01/2022 को दोपहर दो बजे संगोष्ठी भवन में यौन उत्पीड़न एवं एन्टी हेमिंग समिति गठन हेतु बैठक हुई निम्नवत व्यक्ति उपस्थित हुए।

बैठक में उपस्थिति :-

- ① प्रियंका पाण्डेय
- ② सुरभी कुमारी
- ③ कल्पना पाण्डेय
- ④ रीमा कुमारी
- ⑤ रिन्की कुमारी
- ⑥ पुजा कुमारी
- ⑦ अमृता बिहारी
- ⑧ दिपती वर्मा
- ⑨ पुजा भारती
- ⑩ सविता कुमारी

P. Pandey

A. Singh
Principal

Jharkhand Teachers Training College
Koderma-825409

S. Singh
08/01/22

कल्पना पाण्डेय
R.K. वर्मा

रीमा कुमारी

Puja

Amrita
दिपती

P. Pandey

सविता कुमारी

A. Singh
Principal
24/02/22

Jharkhand Teachers Training College
Koderma-825409